कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ

(विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ)

पत्र सं0—29फ / 10(54)16 /   लखनऊ,दिनाँकः 07 ,अक्टूबर, 2016

—: आदेश :—

सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन विद्युत यांत्रिक अनुरक्षण अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा संवर्ग में आपकी नियुक्ति इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर आपरेटर के पद पर वेतनमान रू0 5200—20200 ग्रेड पे 2400/— तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियमानुसार अन्य देय भत्ते के साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संलग्न तालिका के अनुसार कॉलम—8 में अंकित स्थान पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है।

1. उ0प्र0 अस्थायी सरकारी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली 1975 के अन्तर्गत अस्थायी सेवायें किसी भी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
2. नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार की यात्रा—भत्ता देय नहीं होगा।
3. उक्त नियुक्ति अस्थायी राज्य कर्मचारियों से सम्बंधित विभागीय नियमों के अधीन है।

मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस विभाग द्वारा एन्टीसीडेन्ट वैरीफिकेशन नियुक्ति आदेश दिये जाने से पूर्व प्राप्त किया जा चुका है। अतः अब अभ्यर्थी को योगदान के समय निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :—

1. आयु—प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)।
2. एक से अधिक पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
3. शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)।
4. दो चरित्र प्रमाण पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये हों।
5. चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।

समस्त प्रमाण पत्रों (छाया प्रति) का मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर सत्यापन करना परिधिगत अधिकारी का दायित्व होगा।

यदि सम्बंधित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश के प्राप्ति के तिथि से एक माह के अन्दर समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं अन्य सूचनायें प्रस्तुत करते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आप कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। तद्नुसार आपकी नियुक्ति पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(डी0 के0 सिंह)
अपर निदेशक (विद्युत)

पत्र सं0–29फ / 10(54)16 / 2471-12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ को उनके पत्र सं0–581 / गोपन अनुभाग / 2016 के क्रम में।
3. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–6।
4. निदेशक (टेक्नीकल), एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस पत्र एवं संलग्न चयन सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला चिकित्सालय उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि महानिदेशालय से जारी आदेश की पुष्टि कराने के उपरान्त ही प्रथम वेतन आहरित किया जाये।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. सम्बन्धित मण्डलीय सहायक अभियन्ता (विद्युत) / टेक्नोलॉजिस्ट, कार्यालय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. सम्बंधित कर्मचारी, (पंजीकृत डाक द्वारा)।
11. व्यक्तिगत पत्रावली।
12. गार्ड फाइल।

(डी0 के0 सिंह)
अपर निदेशक (विद्युत)